पटना में दिनांक–01 अगस्त, 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		
1.	शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति, 2014 के तहत 5.01 एकड़ भूमि लिये जाने हेतु कुल राशि रू० 2,60,52,000/–(रू० दो करोड़ साठ लाख बावन हजार) मात्र तथा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के आलोक में प्राक्कलित राशि रू० 46,35,28,000/–(रू० छियालीस करोड़ पैंतीस लाख अट्ठाईस हजार) मात्र की लागत राशि पर भवन निर्माण कराये जाने पर अर्थात कुल राशि रू० 48,95,80,000/– (रू० अड़तालिस करोड़ पंचानवे लाख अस्सी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
2.	"बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली–2023" को स्वीकृत एवं लागू करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
3.	आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेनड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम –131झ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	कृषि विभाग		
4.	चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्रांश 1809.99000 लाख (अठारह करोड़ नौ लाख निन्यानवे हजार) रूपया एवं राज्यांश 1206.66000 लाख (बारह करोड़ छः लाख छियासठ हजार) रूपया, कुल 3016.65000 लाख (तीस करोड़ सोलह लाख पैंसठ हजार) रूपये से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5. जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना, मूल प्राक्कलित राशि 2836.00 करोड़ रूपये में कुल राशि 1338.81 करोड़ रूपये की वृद्धि के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 4174.81 करोड़ रूपये में कार्य मदों की राशि में 86.52 करोड़ रूपये की वृद्धि एवं अतिरिक्त कार्य की राशि 254.37 करोड़ रूपये समाहित करने से कुल राशि 340.89 करोड़ रूपये की वृद्धि के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 4515.70 करोड़ रूपये (चार हजार पाँच सौ पन्द्रह करोड़ सत्तर लाख रूपये) का कार्यान्वयन एवं नवादा शहर के जल वितरण कार्य को योजनान्तर्गत राजगीर, गया एवं बोधगया शहरों के जलापूर्ति कार्य के अभिन्न अंग के रूप में इसके चालू एकरारनामा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य की घटनोत्तर स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

6. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के कटैया जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन, प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण तथा हस्तांतरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या–11 दिनांक–21.06.2003 की कंडिका –6 को विलोपित करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

7. बिहार राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से कर प्रमादी (Tax defaulter) हो रहे परिवहन/गैर परिवहन वाहन/ट्रैक्टर–ट्रेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को बकाया पथकर/हरित कर एक मुश्त जमा करने पर अर्थदण्ड से विमुक्ति/कमी तथा उपर्युक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV को छोड़कर) को एक मुश्त पथकर जमा करने पर और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड से विमुक्ति/कमी किये जाने की स्वीकृति दिये जाने एवं अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से अगले छः माह तक की अवधि के लिए लागू किये जाने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्थानों के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2020 के प्रवृत होने की तिथि अर्थात् दिनांक–20.08.2020 के उपरांत नियुक्त होने पर सेवा निरन्तरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

कृषि विभाग

9. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत् मिलेट्स विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पोषक अनाज के मूल्य श्रंखला के विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक के लिए नामांकन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय अर्ध–शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना (ICRISAT (International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, Patancheru, Hyderabad, Telangana) के चयन की स्वीकृति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम मद से कुल 1621.00 लाख (सोलह करोड़ ईक्कीस लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा)

10. भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन/प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत ₹4237.49 लाख (बयालीस करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार रूपये मात्र) की नई स्कीम की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।